उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

पत्र सं0: 28 –मा0सं0–03/उनिलि/2014–5(20) मा0सं0–03/2006 दिनांक: 03.01.2014

"कार्यालय ज्ञाप"

निगम के आदेश संख्या: 2985–मा0सं0–03/उनिलि/2008–5(5)मा0सं0–03/2006, दिनांक: 16.12.2008, 668–मा0सं0–03/उनिलि/2010, दिनांक: 16.03.2010 एवं 2541–मा0सं0–03/उनिलि/2008–5(9)मा0सं0–03/2008, दिनांक: 13.10.2008 द्वारा संविलियन/प्रोन्नति/सीधी भर्ती से नियुक्त अवर अभियन्ता (वै0 एवं यां0) की ज्येष्ठता सूची अनन्तिम रूप से निगमादेश संख्या: 2446/मा0सं0–03/उनिलि–5(20) मा0सं0–03/2013, दिनांक: 05.09.2013 द्वारा घोषित करते हुये दिनांक: 20.09.2013 तक आमंत्रित आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में कतिपय अवर अभियन्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण एतद्द्वारा निम्नवत् हैं:–

नाम (सर्वश्री)	मुख्य/समान प्रकार की आपत्तियों का संकलित संक्षिप्त विवरण	निस्तारण टिप्पणी
निलांबर देवनाथ, पारीछा	प्रार्थी तथा श्री अनिल कुमार पाण्डेय जिनका वरिष्ठता कम 2008298523 है, ने एक ही दिनांक 14.05.1985 को एक ही पद, अवर अभियंता पर समान तकनीकी योग्यता के साथ योगदान दिया था अतः प्रार्थी का वरिष्ठता कम श्री अनिल कुमार पाण्डेय के साथ होना चाहिए था।	अपट्रान इण्डिया लि0 के कार्मिकों के संविलियन आदेश दिनांक 16.12.2008 के प्रस्तर 7 के प्राविधानान्तर्गत "संविलीन कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण अपट्रान इण्डिया में निर्धारित उनके वर्ग में स्थापित वरिष्ठता के अनुसार उनके द्वारा प्रदत्त स्वीकृत के परिप्रेक्ष्य में निगम में तैनात कार्मिकों से नियतन स्थान पर किया जायेगा।" उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यावेदक द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन विभागीय प्रभारी अपट्रान इण्डिया लि0 को उनके विचारार्थ प्रेषित किया गया था। विभागीय प्रभारी अपट्रान इंण्डिया लि0 ने अपने पत्रांक: यूआईएल : पीईआर : समा : उत्पादन निगम : 2010 दिनांक: 30.10.2013 द्वारा प्रत्यावेदक का वरिष्ठता कम अपरिवर्तनीय रखा है। उक्त के दृष्टिगत इनका वरिष्ठता कम अपरिवर्तनीय है।
अनूप कुमार, पारीछा	निगम में संविलीन अवर अभियंताओं की अपट्रान इण्डिया लि0द्वारा उपलब्ध कराई गई श्रेष्ठता सूची में प्रार्थी का नाम कमांक 54 पर त्रुटिवश अंकित हो गयी है जो कि मूल विभाग (अपट्रान इण्डिया लि0) द्वारा संशोधित कर कमांक 44 कर दिया गया है। अपट्रान इण्डिया लि0 द्वारा संशोधित पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रार्थी की वरिष्ठता तद्नुरूप संशोधित करने का कष्ट करें।	विभागीय प्रभारी, अपट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ ने अपने पत्रांक: यूआईएल : पीईआर : समा : उत्पादन निगम : 2010 दिनांक: 16.09.2013 के माध्यम से श्री अनूप कुमार के कथन की पुष्टि की है। अतः उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवेदक की वरिष्ठता अन्तिम वरिष्ठता सूची में संशोधित कर दी जायेगी।
राजीव जौहरी, हरदुआगंज	निगमादेश संख्या 2446–मा0सं0–03/उनिलि/ 2013, दिनांक: 05.09.2013 द्वारा जारी अनन्तिम वरिष्ठता सूची में कमांक 28 पर अंकित प्रार्थी के नाम के सम्मुख जन्म तिथि 12.08.1961 अंकित है जो कि प्रार्थी के अभिलेखानुसार 18.12.1961 है। कृपया तद्नुरूप संशोधित करने का कष्ट करें।	संज्ञान में ले लिया गया। अन्तिम वरिष्ठता सूची में संशोधित कर दी जायेगी।
1. मनोज कुमार सोनकर, पनकी 2. नेमपाल सिंह, पनकी 3. विरेन्द्र सिंह, पनकी	1– प्रार्थी ने अवर अभियंता, प्रशिक्षु के पद पर निगम में दिनांक: 15.11.2008 को कार्यभार ग्रहण किया था, जबकि अपट्रान इण्डिया लि0 के कर्मचारियों को दिनांक: 16.12.2008 से संविलित किया गया था। 2– पूर्व में अवर अभियंताओं की वरिष्ठता उनके प्रशिक्षु के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित की जाती थी, जबकि इस वरिष्ठता सूची में प्रशिक्षण	1– अवर अभियंता (संवर्ग) में ज्येष्ठता/परस्पर ज्येष्ठता का निर्धारण उ0प्र0रा0वि0 सेवा ज्येष्ठता विनियमावली–1998 संपठित संशोधन/आदेश सं0 08 दिनांक: 07.01.2010 (प्रभावी तिथि 01.03.2008) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। विनियम–8 के अनुसार यदि नियुक्ति आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाये अन्यथा सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से होगी जबकि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग

4. ध्रुव कुमार, पारीछा 5. संजीव कुमार सिंह, पारीछा 6. सुनील कुमार पारीछा,	अवधि को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः अनुरोध है कि हमारी प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची घोषित करने की कृपा करें।	या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में प्राप्तांकों व प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गयी सामान्य योग्यता सूची में होंगी। अपट्रान इण्डिया लि0 के कर्मचारियों को उनकी मौलिक नियुक्ति आदेश दिनांक 16.12.2008 के अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से उनिल की सेवा में संविलिन किया गया है जबकि प्रत्यावेदकों की मौलिक नियुक्ति आदेश दिनांकः 29.07.2010 द्वारा की गयी है अतः प्रतिवेदकों की मौलिक नियुक्ति, अपट्रान इण्डिया लि0 कर्मियों की मौलिक नियुक्ति दिनांकः 16.12.2008 के बाद की तिथि 29.07.2010 को होने के कारण ज्येष्ठता सूची में प्रत्यावेदकों को अपट्रान इण्डिया लि0 के कर्मियों के निम्नस्तर पर रखा गया है। 2– वरिष्ठता सूची का निर्धारण तत्समय लागू विनियमावली के प्राविधानान्तर्गत किया जाता हैं। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत अनन्तिम वरिष्ठता सूची में प्रत्यावेदकों के अनुरोधानुसार संशोधन नहीं किया जा सकता हैं।
1. राकेश कुमार ओबरा 2. रमेश कुमार ओबरा 3. राजेश सिंह ओबरा 4. विनोद कुमार पारीछा	निगम द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में कुछ प्रोन्नत अवर अभियंताओं को प्रार्थी से ज्येष्ठता दी गयी है जब कि यह प्रोन्नत अवर अभियंता प्रार्थी के निगम में कार्यभार ग्रहण करने के समय एवं प्रार्थी के नियमितिकरण के दिनांक के कई माह बाद तक अवर अभियंता नहीं थे बल्कि उससे निंचले संवर्ग में थे, फिर भी इनको वरिष्ठता प्रदान की गयी है। अतः अनुरोध है कि पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची घोषित करने की कृपा करें।	पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्याः 84–विनियम–23/राविप–98–3–विनि/92 दिनांकः 24.02.1998 के विनियम 08 के पैरा 3 में निहित *"जहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्तियॉं पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जाय वहॉं पदोन्नत व्यक्तियों की सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता, जहॉं तक हो सके दोनों श्रोतो के लिए विहित कोटा के अनुसार, चक्रानुक्रम में प्रथम स्थान पदोन्नत व्यक्ति का होगा : अवधारित की जायेगी"* के अनुसार किया जाता है। अनन्तिम वरिष्ठता सूची उपरोक्तानुसार ही बनाई गयी हैं अतः प्रत्यावेदकों का अनुरोध स्वीकार्य योग्य नहीं है।
रवि कान्त ओबरा	1–अपट्रान इण्ड़िया लि0 के अवर अभियंताओं का निगम में संविलियन दिनांकः 16.12.2008 को हुआ है इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी नियुक्ति निगम में दिनांकः 16.12.2008 को है तो फिर वह हमसे कैसे वरिष्ठ हो गये ? 2–अपट्रान इण्डियां लि0 के कर्मचारियों की निगम में संविलियन के बाद प्रशिक्षण अवधि कहॉं गयी ? 3– निगम के पत्रांक सं084–विनियम–23/राविप–98–3–विनि / 92 दिनांकः 24.02.1998, के अनुसार प्रोन्नत की स्थिति में ही अवर अभियंता (सा0 श्रेणी)पर ही नियुक्ति की जाती है, परन्तु अपट्रान इण्डिया लि0 के कर्मचारियों को संविलियम की तिथि से अवर अभियंता (सा0 श्रेणी) मान लिया गया है जो कि निगम के नियमानुसार गलत है। अतः पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची घोषित करने की कृपा करें।	1–अवर अभियंता (संवर्ग) में ज्येष्ठता/परस्पर ज्येष्ठता का निर्धारण उ0प्र0रा0वि0 सेवा ज्येष्ठता विनियमावली–1998 सपठित संशोधन/आदेश सं0 08 दिनांकः 07.01.2010 (प्रभावी तिथि 01.03.2008) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाता है। विनियम–8 के अनुसार यदि नियुक्ति आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाये अन्यथा सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से होगी जबकि सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जैसी यथास्थिति आयोग या समिति द्वारा तैयार की गयी योग्यता सूची में प्राप्तांकों व प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई गयी सामान्य योग्यता सूची में होंगी। अपट्रान इण्डिया लि0 के कर्मचारियों को उनकी मौलिक नियुक्ति आदेश दिनांक 16.12.2008 के अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से उनिल की सेवा में संविलिन किया गया है जबकि प्रतिवेदकों की मौलिक नियुक्ति आदेश दिनांकः 29.07.2010 द्वारा की गयी है अतः प्रतिवेदकों की मौलिक नियुक्ति, अपट्रान इण्डिया लि0 कर्मियों की मौलिक नियुक्ति दिनांकः 16.12.2008 के बाद की तिथि 29.07.2010 को होने के कारण ज्येष्ठता सूची में प्रतिवेदकों को अपट्रान इण्डिया लि0 के कर्मियों के निम्नस्तर पर रखा गया है। 2– प्रत्यावेदक की प्रारम्भिक नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर की गयी थी जबकि अपट्रान इण्डिया लि0 के कार्मिकों का संविलियन अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) पद पर हुआ था। 3–अपट्रान इण्डिया लि0 कर्मियों का उ0प्र0रा0वि0नि0लि0 में संविलियन आदेश सं0 99–उनिलि/रिफार्म/रिक्रूटमैंट नीति/संविलियन/2006 दिनांक 24.02.2006 के प्राविधानान्तर्गत मौलिक पद पर किया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रत्यावेदकों का अनुरोध स्वीकार्य योग्य नहीं है।

सूचनीय है, घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची पर सम्बन्धित कार्मिकों से, दिनांकः 20.09.2013 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गयी थी। निगम के पत्र संख्याः 2446 / मा0सं0–03 / उनिलि–5(20) मा0सं0–03 / 2013, दिनांकः 05.09.2013 द्वारा निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची के विरूद्ध दिनांकः 20.09.2013 तक प्राप्त प्रत्यावेदनों को उपरोक्तानुसार निस्तारित / अस्वीकृत किया जाता हैं। अन्य प्रत्यावेदन जो घोषित अनन्तिम वरिष्ठता सूची पर संम्बन्धित कार्मिको से आपत्तियॉ आमंत्रित करने हेतु निर्धारित अवधि अर्थात दिनांक–20.09.2013 के उपरान्त प्राप्त हुये है या प्राप्त होंगे को स्वतः निस्तारित / अस्वीकृत माना गया है / जायेगा।

निदेशक (कार्मिक)

पत्र सं0: 28 –मा0सं0–03 / उ0नि0लि0 / 2014 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता, ओबरा / अनपरा / पारीछा / पनकी / हरदुआगंज ताप विद्युत गृह; उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) पनकी (कानपुर) / कासिमपुर (अलीगढ़) को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता (वै0 एवं यॉ0) को इस आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस आदेश की प्रति उत्पादन निगम लि0 की बेब साइट www.uprvunl.org से डाऊनलोड की जा सकती है।
2. मुख्य अभियन्ता (मानव संसाधन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, (पीपीएमएम) / (तापीय परिचालन), उ0प्र0 राविउनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, (पर्यावरण एवं सुरक्षा) / (जानपद) / (आर0 एण्ड एम0) / (ईधन) / (वाणिज्य),उनिलि, शक्ति भवन लखनऊ।
5. सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उपमहाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता (मानव संसाधन), (01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06) / रिफार्म उ0प्र0 राविउनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रगति परियेजना) उ0नि0लि0 विभूति खण्ड गोमती नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्तुत आदेश यथाशीघ्र उ0नि0लि0 की वेबसाइट पर अपलोड करवा दें।
8. सहायक अभियन्ता, (डाटा बेस) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
9. कट फाईल।

आज्ञा से,

(विवेक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–03)